

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-67/2017/2283/37-1-2017-9(26)/2017

लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख सतम्भ-4 में अंकित पशु चिकित्सालय से सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम/ पदनाम | वर्तमान तैनाती | सम्बद्धता का स्थान |
|----------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | डा० विजय कुमार पाण्डेय, पशु चिकित्साधिकारी | खुशालनगर, महाराजगंज | सादुल्लानगर, बलरामपुर |
| 2 | डा० पुष्पा सिंह, पशुचिकित्साधिकारी | गनपा, कौशाम्बी | भेड, नैनी (प्रायोजना) |
| 3 | डा० मुकेश कुमार, पशुचिकित्साधिकारी | खेडी भनौता, गौतमबुद्धनगर | एनिमल सेल्टर, नोएडा |
| 4 | डा० सत्येन्द्र प्रताप सिंह, पशुचिकित्साधिकारी | फैजपुर निनाना, बागपत | गोहाना, जालौन |
| 5 | डा० सुमित वैशाल, पशुचिकित्साधिकारी | पीपलवाडा, बुलन्दशहर | बेसवाँ, अलीगढ़ |
| 6 | डा० संदीप कुमार, पशुचिकित्साधिकारी | बडेसरा, गाजीपुर | रामगंज, अमेठी |
| 7 | डा० संतोष राजपाल, पशुचिकित्साधिकारी | भेड, झाँसी | गो सेवा आयोग |
| 8 | डा० इति मिश्रा, पशु चिकित्साधिकारी | पृथ्वी, शाहजहाँपुर | पशुपालन निदेशालय में संयुक्त निदेशक (गौशाला) के साथ |
| 9 | डा० रंजना सचान, पशुचिकित्साधिकारी | जलालपुर, हमीरपुर | पॉली क्लीनिक, लखनऊ |

2- सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-67/2017/2283(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पशुपालन विभाग, 30प्र0 लखनऊ
- 3- संबंधित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।
- 5- संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।